भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1394
मंगलवार, 12 दिसंबर, 2023/21 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

बहु-राज्यीय सहकारी समितियों (एमएससी) के लिए लेखापरीक्षा मानक तैयार किया जाना

1394. श्री प्रदीप कुमार सिंहः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बहु-राज्यीय सहकारी समितियों (एमएससी) के लिए लेखापरीक्षा मानक तैयार करने की प्रक्रिया में है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इससे समितियों के पेशेवर बनने में किस प्रकार लाभ होने की संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ख): मौजूदा कानून के अनुसमर्थन द्वारा और सत्तानवां संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करके बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही में बढ़ोतरी और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार**,** इत्यादि हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 को क्रमश: दिनांक 03.08.2023 और दिनांक 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया है ।

बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित संपरीक्षण और लेखांकन के ऐसे मानकों को अपनाने हेतु उपबंध शामिल किया गया है ।

जब तक संपरीक्षण और लेखांकन के ऐसे मानक विनिर्दिष्ट नहीं हो जाते हैं**,** तब तक चार्टर्ड अकाउंटेट अधिनियम, 1949 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्दिष्ट संपरीक्षण और लेखांकन मानकों को संपरीक्षण और लेखांकन का मानक माना जाएगा । इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन और संपरीक्षण मानक**,** यदि कोई हो**,** को बहुराज्य सहकारी बैंकों द्वारा अपनाया जाएगा ।

इसके साथ ही 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर/जमा वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल द्वारा कॉनकरंट संपरीक्षण का उपबंध भी शामिल किया गया है । कॉनकरंट संपरीक्षण से धोखाधड़ी या अनियमितताएं**,** यदि कोई हो**,** का जल्द पता लग सकेगा और तदनुसार तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी । वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए संपरीक्षकों के निम्नलिखित दो पैनल अधिसूचित किए गए हैं:

1) पांच सौ करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी दशा हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सांविधिक संपरीक्षण हेतु संपरीक्षकों का पैनल ।

2) पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी दशा हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सांविधिक और कॉनकरंट संपरीक्षण हेतु संपरीक्षकों का पैनल ।

उपर्युक्त उपबंधों द्वारा मानकीकरण, लेखांकन/संपरीक्षण में एकरूपता, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन में वृद्धि सुनिश्चित होगी जो समितियों की पेशेवरता में सहायक होगी ।

*****